एनपीएस
वात्सल्य

योजना	पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना
पात्रता	सभी अल्पवयस्क नागरिक (18 वर्ष तक की आयु वाले)
संचालन	• खाता अल्पवयस्क के नाम पर खोला जाएगा और अभिभावक द्वारा संचालित होगा। • अल्पवयस्क एकमात्र लाभार्थी होगा।
खाता कहां खोलें	• उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के माध्यम से, जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं। • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ई-एनपीएस)
आवश्यक दस्तावेज़	• अभिभावक की केवाईसी की जाएगी, जिसके लिए पहचान और निवास का प्रमाण जमा करना होगा। (*आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड अथवा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर मान्य है*) • अल्पवयस्क की जन्मतिथि का प्रमाण *(जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, पैन अथवा पासपोर्ट)* • यदि अभिभावक एनआरआई/ओसीआई है, तो अल्पवयस्क का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)
अंशदान	**खाता खोलने के लिए अंशदान :** न्यूनतम रु. 1,000/- और अधिकतम की कोई सीमा नहीं **बाद का अंशदान :** न्यूनतम रु. 1,000/- प्रति वर्ष और अधिकतम की कोई सीमा नहीं
पेंशन फंड का चयन	अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक को चुन सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट विकल्प	**(1). डिफ़ॉल्ट विकल्प** : मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड - LC-50 (50% इक्विटी) **(2). ऑटो विकल्प** : अभिभावक लाइफ साइकिल फंड – एग्रेसिव एलसी-75 (75% इक्विटी), मॉडरेट एलसी-50 (50% इक्विटी) या कंजर्वेटिव एलसी-25 (25% इक्विटी) का चुनाव कर सकते हैं। (3) **सक्रिय विकल्प** : अभिभावक, इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट डेब्ट (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियां (100% तक) और वैकल्पिक आस्तियां (5%) में सक्रिय रूप से धन के आवंटन का निर्णय ले सकते हैं।

निकासी, प्रत्याहरण एवं मृत्यु	• शिक्षा, विनिर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के बाद अंशदान के 25% तक की राशि का अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण किया जा सकेगा।
	• 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एनपीएस टियर–I (सर्व-नागरिक) में सीधे स्थानान्तरण
	• 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर निकासी संभव :
	  ○ **संचित कॉर्पस 2.5 लाख से अधिक होने पर :** संचित राशि का 80% वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग करना होगा और 20% एकमुश्त ली जा सकेगी।
	  ○ **संचित कॉर्पस 2.5 लाख के बराबर या उससे कम होने पर :** पूरी संचित राशि एकमुश्त के रूप में निकाली जा सकेगी ।
	• मृत्यु होने पर पूरा संचित कॉर्पस अभिभावक को लौटा दिया जाएगा।